

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-12112021-231036
SG-DL-E-12112021-231036

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 326]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 11, 2021/कार्तिक 20, 1943	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 243
No. 326]	DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 11, 2021/KARTIKA 20, 1943	[N. C. T. D. No. 243

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग
(स्थानीय निकाय निदेशालय)

अधिसूचना

दिल्ली, 9 नवम्बर, 2021

सं.फा. 01 (9)/एडीएलबी/ओएस-5/2015/000372362/2985-95.—दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 7 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल एतद् द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के चुनाव आयुक्त (सेवा की शर्तें एवं कार्यकाल) नियमावली, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:—

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ— इन नियमों को चुनाव आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (सेवा की शर्तें एवं कार्यकाल) संशोधन नियमावली, 2021 कहा जाएगा।
- ये तत्काल प्रभावी होंगे।
- चुनाव आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (सेवा की शर्तें एवं कार्यकाल) नियमावली 2019, में उक्त नियमों के नियम 8 के पं चात् निम्नलिखित को सन्निविष्ट किया जाएगा:—

“इसके अलावा, राज्य चुनाव आयुक्त सेवानिवृत्ति के पश्चात् ऐसे लाभों को प्राप्त करने के पात्र होंगे जो दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को समय-समय पर ग्राह्य तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा यथानुमोदित हैं।”

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
प्रवीन गुप्ता, अपर मुख्य सचिव (शहरी विकास विभाग/निदेशक (स्थानीय निकाय))

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT

(Directorate of Local Bodies)

NOTIFICATION

Delhi, the 9th November, 2021

No. F.1 (9)/ADLB/os-5/2015/000372362/2985-95.—In exercise of the powers conferred under sub-section (2) of Section 7 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957, the Hon'ble Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby makes the following amendments in Election Commissioner of National Capital Territory of Delhi (Conditions of Service and Tenure of Office) Rules, 2019 :-

1. Short title and commencement- These rules may be called the Election Commissioner of National Capital Territory of Delhi (Conditions of Service and tenure of office) Amendment Rules, 2021.
2. These shall come into force at once.
3. In the Election Commissioner of National Capital Territory of Delhi (conditions of Service and tenure of Office) Rules 2019, following shall be inserted after Rule 8 of the said rules:

“Further, the State Election Commissioner shall be entitled to receive such post retirement benefits as admissible from time to time to the retired Judge of High Court of Delhi and as approved by the Govt. Of National Capital Territory of Delhi”.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital territory of Delhi,

PARVEEN GUPTA, Addl. Chief Secy. (Urban Development Department/Director (Local Bodies))